दांडिक पुनरीक्षण

भूपिंदर सिंह ढिल्लों न्यायमूर्ति के समक्ष

बालक राम —याचिकाकर्ता ,

बनाम

नंद सिंह, —*प्रतिवादी.*

आपराधिक संशोधन 1972 *की सं.* 371

22 मई, 1972

दंड प्रक्रिया संहिता (1898 का अधिनियम V)— धारा 252—*शिकायतकर्ता ने शिकायत में उल्लिखित चश्मदीद गवाहों को छोड़ दिया—क्या उन्हें बाद में अभियोजन पक्ष के मामले के बंद होने से पहले पेश करने से रोक दिया गया था।*

अभिनिर्धारित किया कि जहां तक साक्ष्य प्रस्तुत करने का संबंध है, आपराधिक मामलों की सुनवाई के लिए लागू होने का कोई नियम नहीं है। इससे पहले कि अभियोजन पक्ष अपना मामला बंद कर दे, अभियोजक के लिए यह हमेशा खुला रहता है कि वह पुनर्विचार करे और उन गवाहों को पेश करने के लिए दबाव डाले जो मुद्दे के तहत मामले का फैसला करने और पार्टियों के बीच पूर्ण न्याय करने के लिए सामग्री हैं। केवल तथ्य यह है कि शिकायतकर्ता कुछ गवाहों को छोड़ते हुए पहले चरण में एक बयान देता है, वह उनकी जांच के लिए दबाव डालने का अधिकार नहीं खोता है जब उसे पता चलता है कि वे घटना के सही तथ्यों को बताने के लिए तैयार हैं। इसलिए एक शिकायतकर्ता को अभियोजन पक्ष के मामले के बंद होने से पहले गवाहों को पेश करने से नहीं रोका जाता है।

(पैरा 5)

आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 439 के तहत अंबाला के सत्र न्यायाधीश श्री जे. एम. टंडन *के 10 अप्रैल, 1972 के आदेश में संशोधन के लिए* ***याचिका*** दायर की गई है , *जिसमें श्री वीपी अग्रवाल, न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, अंबाला शहर के* 15 मार्च, 1972 *के अंतरिम आदेश की पुष्टि की गई है।ऐसे गवाह जिन्हें पहले उसके द्वारा छोड़ दिया गया था।*

याचिकाकर्ता की ओर *से अधिवक्ता एस.एल. अहलूवालिया।*

प्रतिवादी की ओर *से अधिवक्ता के. के. अग्रवाल।*

निर्णय

भूपिंदर सिंह ढिल्लों न्यायमूर्ति.—बालक राम याचिकाकर्ता ने 23 मार्च, 1971 को हुई एक कथित घटना के लिए प्रतिवादी नंद सिंह के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 323/504 के तहत शिकायत दर्ज की। शिकायत 24 मार्च, 1971 को दर्ज की गई थी। शिकायत के साथ दायर गवाहों की सूची में जगत सिंह और दाता राम का उल्लेख घटना के कथित दो चश्मदीद गवाहों के रूप में किया गया था। जगत सिंह भी दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 200 के तहत कार्यवाही में शिकायतकर्ता के लिए एक गवाह के रूप में पेश हुए। उक्त शिकायत में नंद सिंह प्रतिवादी को आरोपी व्यक्ति के रूप में तलब किया गया था। कार्यवाही के दौरान याचिकाकर्ता के वकील श्री नरिंदर सिंह एडवोकेट ने 4 सितंबर, 1971 को एक बयान दिया, जिसमें जगत सिंह, पीडब्ल्यू को जीत के रूप में छोड़ दिया गया। याचिकाकर्ता ने उसी तारीख को एक बयान भी दिया, जिसमें घटना के एक अन्य कथित प्रत्यक्षदर्शी दाता राम को इस आधार पर छोड़ दिया गया था कि उस पर जीत हासिल की गई थी। उसी तारीख

को, याचिकाकर्ता की ओर से मजिस्ट्रेट के समक्ष एक आवेदन दिया गया था कि राम चंदर और जीत सिंह, जो कथित तौर पर इस घटना के गवाह थे, को शिकायत में अभियोजन पक्ष के गवाह के रूप में पेश करने की अनुमति दी जाए। यह उल्लेख किया जा सकता है कि शिकायत के साथ दायर गवाहों की सूची में राम चंदर और जीत सिंह के नामों का उल्लेख नहीं किया गया था। इस अनुरोध को विद्वान मजिस्ट्रेट द्वारा 25 सितंबर, 1971 के अपने आदेश के माध्यम से अस्वीकार कर दिया गया था और विद्वान सत्र न्यायाधीश द्वारा 13 दिसंबर, 1971 के अपने आदेश के माध्यम से इस आदेश के खिलाफ पुनरीक्षण याचिका को खारिज कर दिया गया था, 1972 के आपराधिक संशोधन संख्या 8 को उपरोक्त आदेशों को चुनौती देते हुए इस न्यायालय में दायर किया गया था, जिसे मेरे द्वारा 7 फरवरी, 1972 के मेरे आदेश के तहत भी खारिज कर दिया गया था। नतीजतन, राम चंदर और जीत सिंह को शिकायत के समर्थन में पेश करने की अनुमति नहीं दी गई।

जब शिकायत आगे की कार्यवाही के लिए मजिस्ट्रेट के पास गई, तो याचिकाकर्ता द्वारा 26 फरवरी, 1972 को एक आवेदन दिया गया कि उसे घटना के दो कथित गवाहों जगत सिंह और दाता राम को पेश करने की अनुमति दी जाए, जिनके नाम शिकायत के साथ दायर गवाहों की सूची में उल्लिखित किए गए थे और जिन्हें पहले याचिकाकर्ता के वकील के बयान और उनके स्वयं के बयान द्वारा छोड़ दिया गया था। 4 सितंबर, 1971 को इस आधार पर कि उक्त दो गवाहों ने याचिकाकर्ता को आश्वासन दिया था कि वे अब अदालत के सामने सही तथ्यों को बोलेंगे। मजिस्ट्रेट ने इस आवेदन को खारिज कर दिया - 15 मार्च, 1972 के अपने आदेश के माध्यम से, और विद्वान सत्र न्यायाधीश के समक्ष पुनरीक्षण याचिका विफल होने के बाद, याचिकाकर्ता ने उक्त आदेशों को रद्द करने और अपनी शिकायत के समर्थन में जगत सिंह और दाता राम को पेश करने की अनुमति देने के लिए इस पुनरीक्षण याचिका के माध्यम से इस अदालत का दरवाजा खटखटाया है।

(2) याचिकाकर्ता के वकील सुंदर लाल अहलूवालिया का तर्क है कि आपराधिक मुकदमे के मामले में एस्टोपेल का सिद्धांत लागू नहीं होगा और दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 252 के प्रावधानों का सही अर्थ यह होगा कि अभियोजन पक्ष को अभियोजन पक्ष द्वारा भरोसा किए गए गवाहों को अभियोजन पक्ष द्वारा अभियोजन पक्ष द्वारा भरोसा किए जाने से पहले या बचाव पक्ष द्वारा अपने साक्ष्य प्रस्तुत करने से पहले पेश करने की अनुमति दी जाएगी। विद्वान वकील सैयद मोहम्मद बनाम केसी *रमन और अन्य* (1) में रिपोर्ट किए गए एक मामले पर भरोसा करते हैं।, जिसमें इसी तरह की परिस्थितियों में केरल उच्च न्यायालय द्वारा यह माना गया था कि अभियोजन पक्ष के मामले को बंद करने से पहले अभियोजन पक्ष को उन गवाहों से पूछताछ करने की स्वतंत्रता होगी, जिन पर अभियोजन पक्ष भरोसा करता है, भले ही लोक अभियोजक ने कुछ गवाहों को छोड़ते हुए पहले बयान दिया था। विद्वान वकील ने *क्राउन प्रॉसिक्यूटर, मद्रास* बनाम सीवी *रामानुजुलु नायडू और अन्य* (2) *में रिपोर्ट किए गए एक मामले पर भी भरोसा किया।*। इस मामले में मद्रास उच्च न्यायालय दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 256 के प्रावधानों की व्याख्या कर रहा था और इस फैसले में की गई कुछ टिप्पणियां याचिकाकर्ता के विद्वान वकील की दलील का समर्थन करती हैं।

1. 1964 (1) सीआर.एल.जे. 100.
2. ए.आई.आर. 1944 मद्रास 169.

(3) दूसरी ओर, प्रतिवादी के वकील श्री केके अग्रवाल का तर्क है कि वास्तव में ऊपर उल्लिखित याचिकाकर्ता के विद्वान वकील द्वारा भरोसा किए गए किसी भी मामले में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा

252 के प्रावधानों के सही आयात पर चर्चा नहीं की गई है और दंड प्रक्रिया संहिता के तहत परीक्षण किए गए मामलों पर एस्टोपेल का सिद्धांत समान रूप से लागू होगा। वकील का तर्क है कि शिकायतकर्ता ने एक बार अदालत के समक्ष बयान दिया था कि जिन गवाहों पर उसने भरोसा किया था, उन्हें जीत लिया गया था, उन्हें पेश करने की उसकी कोई इच्छा नहीं थी, बाद में आगे आकर यह नहीं कह सकता कि वह बाद में उक्त गवाहों को पेश करना चाहता है।

(4) पक्षकारों के विद्वान वकीलों को सुनने के बाद, मेरी राय है कि यह याचिका सफल होनी चाहिए। इसमें कोई संदेह नहीं है कि याचिकाकर्ता ने बयान दिया कि जगत सिंह और दाता राम को छोड़ दिया जाना चाहिए क्योंकि वे जीत गए थे, लेकिन साथ ही अभियोजन पक्ष का मामला तब बंद नहीं हुआ था। इन दोनों गवाहों का उल्लेख शिकायत में गवाह के रूप में किया गया है और शिकायत के साथ दायर गवाहों की सूची में उनके नाम भी शामिल हैं। उपरोक्त उल्लिखित और याचिकाकर्ता के विद्वान वकील द्वारा भरोसा किए गए दोनों प्राधिकरणों में, निर्धारित कानून का सिद्धांत यह है कि जहां तक सबूत ो को पेश करने का संबंध है, आपराधिक मामलों की सुनवाई के लिए लागू होने का कोई नियम नहीं है। इससे पहले कि अभियोजन पक्ष अपना मामला बंद कर दे, अभियोजक के लिए यह हमेशा खुला रहता है कि वह पुनर्विचार करे और उन गवाहों को पेश करने के लिए दबाव डाले जो मुद्दे के तहत मामले का फैसला करने और पार्टियों के बीच पूर्ण न्याय करने के लिए सामग्री हैं। प्रतिवादी के वकील यह दिखाने के लिए किसी भी प्राधिकरण का हवाला नहीं दे सके कि जगत सिंह और दाता राम को छोड़ने के पहले चरण में केवल एक बयान देने से, शिकायतकर्ता को उनकी जांच के लिए दबाव डालने का कोई अधिकार नहीं था, जब उसे पता चलता है कि वे घटना के सही तथ्यों को बताने के लिए तैयार हैं। मैं ऊपर उल्लिखित दो प्राधिकरणों में लिए गए दृष्टिकोण से सम्मानपूर्वक सहमत हूं, जिन पर याचिकाकर्ता के विद्वान वकील द्वारा भरोसा किया गया है।

(5) याचिकाकर्ता के वकील श्री अहलूवालिया ने कहा कि यदि उन्हें उनकी सेवा को प्रभावी बनाने के लिए दस्ती समन दिया जाता है तो वह शिकायत की एक सुनवाई में दोनों गवाहों, अर्थात् जगत सिंह और दाता राम को पेश करेंगे। जब याचिकाकर्ता को अपनी शिकायत के समर्थन में जगत सिंह और दाता राम की जांच करने की अनुमति दी जाती है, तो यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि शिकायत में अनावश्यक देरी न हो जिससे आरोपी प्रतिवादी को परेशान किया जा सके। याचिकाकर्ता के विद्वान वकील श्री अहलुवालिया द्वारा दिए गए वचन के मद्देनजर, मैं निर्देश देता हूं कि पक्षकार 12 जून, 1972 को विद्वान मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थित हो सकते हैं, जब विद्वान मजिस्ट्रेट जगत सिंह और दाता राम के साक्ष्य दर्ज करने के लिए एक तारीख तय करेंगे और विद्वान मजिस्ट्रेट याचिकाकर्ता को उनकी सेवा को प्रभावी बनाने के लिए दस्ती समन देंगे। यदि याचिकाकर्ता सुनवाई की उक्त तारीख पर इन गवाहों की उपस्थिति प्राप्त करने में विफल रहता है, तो उक्त गवाहों को पेश करने के लिए कोई और स्थगन नहीं दिया जाएगा।

(6) ऊपर उल्लिखित सीमा के अधीन, इस पुनरीक्षण याचिका को स्वीकार किया जाता है, नीचे दिए गए न्यायालयों के आदेशों को निरस्त किया जाता है और पक्षकारों को उनके वकील के माध्यम से 12 जून, 1972 को विद्वान मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, अंबाला के समक्ष उपस्थित होने का निर्देश दिया जाता है।

एन.के.एस.

अस्वीकरण: स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

खुश करण जोत सिंह गिल
प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी
चंडीगढ़ न्यायिक अकादमी